

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 737/19-20

3

संजीत बरवला

आवेदक

बनाम

सोमरो उशैव

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती संजीत बरवला
 पिता/पति ख० गजेश बरवला निवास
 ग्राम मेलदम चही थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित
 विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
 आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
मेलदम चही	गुमला 43	27	199	1.41 एं में ले 0.10 एकड़

(दस डिसेमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित कंता
 श्री/श्रीमती सोमरो उशैव पिता/पति ख० मधुवा पाहन
 निवासी ग्राम लुसे बरवली थाना गुमला जिला
 गुमला को राशि रुपये 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार (4) मात्र) पर
 बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज
 हेतु/हर बेल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
 नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे है।
 अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
 ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के
 पत्रांक 30 दिनांक 04/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
 जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

4

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के खेदि है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती संजीव वरवला पिता/पति स्व. राजेश वरवला निवासी ग्राम मालदम - चही थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
मालदम - चही	गुमला	27	199	1.51 एम्मेंट 0.10 म्का
(कुल दस डिसेमील)				

चौहद्दी - उत्तर- रघु मणिम काजमीन दक्षिण- कच्चा रास्ता
 पूरब- हिमा संजीव वरवला पश्चिम- हिमा गौस अर्वि

लेखापित एवं सशोधित

अतिरिक्त
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।

अतिरिक्त
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।